रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, बुधवार, मई 20, 2015/वैशाख 30, 1937
No. 325] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2015/VAISAKHA 30, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2015

सं. 19/2015-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 409(अ).—अभिहित प्राधिकारी चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद विषयगत देश कहा गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडियम साइट्रेट" (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 29181520 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-1, तारीख 26 फरवरी, 2015 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा. सं. 14/23/2013-डीजीएडी, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-

(i) विषयगत देश से विषयगत माल का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है जिसके फलस्वरूप विषयगत माल का पाटन हुआ है;

(ii) विषयगत माल के आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(iii) वास्तविक क्षति विषयगत देश से विषयगत माल के पाटित आयातों के कारण हुई है;

और विषयगत देश में मूलत: उत्पादित अथवा निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की, ताकि घरेलू उद्योग को क्षति से बचाया जा सके;

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (।) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट देश में उद्भत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि में से अदा किया हुआ रक्षोपाय शुल्क, जिसे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 10/2012- सीमा शुल्क (एसजी), दिनांक 31 दिसम्बर, 2014, जिसे सा0का0नि0 936(अ) दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (1) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा अधिरोपित किया गया था, घटाने के बाद समतुल्य के दर पर प्रतिपाटन शुल्क लगाती है।

सारणी

क्र.स.	टैरिफ मद	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29181520	सोडियम साइट्रेट	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	367.59	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2	29181520	सोडियम साइट्रेट	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	कोई	367.59	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3	29181520	सोडियम साइट्रेट	कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई	कोई	367.59	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

नोट: सूची में शामिल की गई वस्तुएं- ट्राई सोडियम साइट्रेट, ट्राई सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट, सोडियम साइट्रेट डिहाइड्रेट, ट्राईबेसिक सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट ट्राईबेसिक डिहाइड्रेट, सोडियम साइट्रेट डाईबेसिक सेस्क्वाहाइड्रेट और सोडियम साइट्रेट मोनोबेसिक बायोएक्ट्रा ।

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू ''विनिमय दर'' वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/78/2015-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2015

No. 19/2015-Customs (ADD)

G.S.R. 409(E).—Whereas, in the matter of "Sodium Citrate" (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 2918 15 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 *vide* notification number 14/23/2013-DGAD, dated the 26th February, 2015, had come to the conclusion that –

(i) the subject goods have been exported to India from the subject country below its associated normal value, thus, resulting in dumping of the subject goods;

(ii) the domestic industry has suffered material injury on account of imports from subject countries;

(iii) the material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country,

and has recommended imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) after reducing the amount of safeguard duty applicable on the subject goods *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 04/2014-Customs (SG), dated the 31st December, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 936(E), dated the 31st December, 2014, in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl.No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2918 15 20	Sodium Citrate	People's Republic of China	People's Republic of China	Any	Any	367.59	MT	US Dollar
2	2918 15 20	Sodium Citrate	People's Republic of China	Any	Any	Any	367.59	MT	US Dollar
3	2918 15 20	Sodium Citrate	Any	People's Republic of China	Any	Any	367.59	MT	US Dollar

Note: The description of goods includes Tri Sodium Citrate, Tri Sodium Citrate dehydrate, Sodium Citrate dehydrate, Tribasic Sodium Citrate, Sodium Citrate Tribasic Dihydrate, Sodium Citrate Dibasic Sesquihydrate and Sodium Citrate Monobasic Bioxtra.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/78/2015-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.